

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

संकल्प

विषय : मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत राज्य के वैसे व्यक्तियों को जिनकी सकल वार्षिक आय लगातार तीन वर्षों तक रु० 8.00 (आठ लाख) से कम हो, उन्हें असाध्य रोगों यथा-सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण एवं गंभीर लीवर रोग तथा एसिड अटैक से प्रभावितों को चिकित्सा सहायता अनुदान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में

1. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संकल्प संख्या 184 (13) स्वा० राँची दिनांक-17.07.2015 के आलोक में झारखण्ड राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले एवं रु० 72,000 (बहत्तर हजार) से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को विभाग द्वारा सूचीबद्ध रोगों के उपचार हेतु चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती थी। झारखण्ड राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लागू होने के पश्चात विभागीय पत्रांक-369/स्वा० दिनांक-19.03.2019 द्वारा इस योजना अंतर्गत सूचीबद्ध 1408 बीमारियों को छोड़कर शेष असाध्य रोगों के उपचार हेतु मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत अनुदान राशि प्रदान की जाती रही है।
2. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना को कारगर बनाने हेतु इस योजनान्तर्गत असाध्य रोगों, यथा-सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण एवं गंभीर लीवर रोग से पीड़ित वैसे व्यक्तियों को, जिनकी सकल वार्षिक आय लगातार तीन वर्षों तक 8.00 लाख से कम है तथा एसिड अटैक के पीड़ितों को चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान की जायेगी।
3. एसिड अटैक के मामलों में आय की बाध्यता नहीं होगी।
4. मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अन्तर्गत सभी प्रकार के कैंसर रोग, किडनी प्रत्यारोपण तथा गंभीर लीवर रोगों के लिए प्रत्येक मामले में अधिकतम रु० 5.00 लाख का चिकित्सा अनुदान प्रदान किया जायेगा।
5. यह सुविधा झारखण्ड राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों एवं अन्य राज्यों के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, सभी केन्द्रीय चिकित्सा संस्थानों तथा सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थानों में ही मान्य होगा (सूची संलग्न है- अनुलग्नक-1)। अस्पतालों को सूचीबद्ध करने के संबंध में विभाग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
6. उपरोक्त बीमारियों के अतिरिक्त W.P(CrI) No-129 of 2016 लक्ष्मी बनाम संघ एवं अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में विभागीय अधिसूचना सं० 397 (13) दिनांक-30.10.2019 के आलोक में एसिड अटैक से प्रभावित व्यक्तियों के ईलाज पर होने वाले संपूर्ण व्यय (जिसमें शय्या, दवा, भोजन, शल्यक्रिया एवं Reconstructive Surgeries इत्यादि पर व्यय शामिल होगा) की प्रतिपूर्ति इस योजना में निहित राशि से संबंधित सिविल सर्जन द्वारा की जाएगी। यह सुविधा सभी सरकारी/निजी अस्पतालों के लिए ही मान्य होगी।
7. सकल वार्षिक आय की अधिसीमा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले परिपत्रों के अनुरूप होगी।
8. रोगों की चिकित्सा हेतु सहायता राशि दर संबंधित अस्पताल के शहर के लिए अधिकतम CGHS के द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप होगी अथवा अधिकतम 5 लाख तक सीमित रहेगी। अस्पताल के द्वारा प्राक्कलन भेजते समय उस शहर के CGHS दर की प्रति भी संलग्न करना आवश्यक होगा।
9. सभी प्रकार के कैंसर रोग, किडनी प्रत्यारोपण, गंभीर लीवर रोग से संबंधित बीमारियों के ईलाज में सिविल सर्जन द्वारा 5.00 लाख तक की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

39(13)
14/09/2020

10. योजना अंतर्गत सिविल सर्जन के अध्यक्षता में निम्नवत् एक समिति गठित होगी:-

1. असैनिक शल्य चिकित्सा-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	-	अध्यक्ष
2. उपायुक्त द्वारा नामित एक वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी	-	सदस्य
3. स्थानीय माननीय विधायक/विधायक प्रतिनिधि	-	सदस्य
4. जिला कल्याण पदाधिकारी	-	सदस्य
5. उपाधीक्षक, सदर अस्पताल	-	सदस्य
6. सदर अस्पताल की वरीयतम महिला चिकित्सा पदाधिकारी	-	सदस्य
7. संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी	-	सदस्य

11. समिति का कोरम दो तिहाई (2/3) होगा तथा समिति की बैठक प्रत्येक सोमवार को आहूत की जायेगी। सोमवार को अवकाश रहने पर अगले कार्यदिवस पर बैठक की जायेगी। समिति प्राप्त अभ्यावेदनों की नियमानुसार जाँच/समीक्षा कर बैठक के दिन ही मरीजों को उपचार हेतु पत्र हस्तगत करायेगा। उसी दिन संबंधित अस्पतालों को भी Fax अथवा E-Mail द्वारा स्वीकृति की सूचना देगा।

12. सभी सिविल सर्जन स्वीकृति देते समय स्वीकृत्यादेश में यह अंकित करेंगे कि स्वीकृति की तिथि से एक माह के अन्दर मरीज अपना ईलाज संबंधित अस्पताल में कराना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा उसकी वैधता समाप्त हो जायेगी। विशेष परिस्थिति में ही पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए इसमें छूट दी जायेगी।

13. किसी विशिष्ट मामले में यदि निर्धारित सीमा से अधिक राशि देने की आवश्यकता होगी, तो ऐसे मामलों में मंत्रिमंडल की अनुशंसा प्राप्त कर विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14. राज्य स्तर पर "मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना" के संचालन अनुश्रवण, नियंत्रण पर्यवेक्षण, निगरानी एवं निरीक्षण आदि के लिए एक राज्य स्तरीय चिकित्सा सहायता प्रबन्धन समिति का गठन किया जाता है। समिति की संरचना निम्नवत् होगी :-

1. मंत्री, स्वा०, चि०शि० एवं प०क० विभाग	-	अध्यक्ष
2. प्रधान सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग	-	सदस्य
3. प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग	-	सदस्य
4. प्रधान सचिव/सचिव, कल्याण विभाग	-	सदस्य
5. निदेशक, रिम्स, राँची	-	सदस्य
6. प्रभारी अपर/संयुक्त/उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग	-	सदस्य सचिव

प्रबन्ध समिति के कार्यकलापों के संदर्भ में स्थापना एवं आकरिमकता मद में व्यय की वर्तमान व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी।

15. "मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना" के तहत विभाग द्वारा सभी जिलों के सिविल सर्जन को राशि आवंटित की जायेगी। संबंधित सिविल सर्जन राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे, जो आवश्यकतानुसार राशि की अग्रिम निकासी कर जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति के खाते में रखेंगे तथा राशि का समुचित उपयोग कर इसका DC विपत्र ससमय महालेखाकार, झारखण्ड को भेजेंगे।

इस राशि का लेखा अलग रोकड़बही (Cash Book) में संधारित किया जायगा।

16. योजना के तहत चिकित्सा सहायता प्राप्त करने हेतु लाभुकों को उपर्युक्त जिला स्तरीय समिति के समक्ष निम्न प्रपत्र में आवेदन करना होगा:-

39(13)
14/02/2020

मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत चिकित्सा सहायता हेतु आवेदन का प्रपत्र (एसिड अटैक मामले को छोड़कर)

1. रोगी का नाम :-
2. रोगी के पिता/पति का नाम :-
3. स्थाई पता (मो० नम्बर के साथ) :-
4. रोग का नाम :-
5. श्रेणी :-

रोगी का अद्यतन फोटो

परिवार	सकल वार्षिक आय (अधिकतम 8 लाख)

6. अस्पताल का नाम (जहाँ इलाज कराना है) :-
 7. इलाज के लिए अस्पताल द्वारा प्राक्कलित राशि :-
- वांछित कागजात :
1. दो अतिरिक्त पासपोर्ट साईज फोटो।
 2. आय प्रमाण-पत्र।
 3. अस्पताल द्वारा निर्गत प्राक्कलन।

आवेदक अथवा अभिभावक का हस्ताक्षर
/अंगूठे का निशान

17. जिला स्तरीय समिति, चिकित्सा सहायता प्राप्ति हेतु आवेदन पत्रों के साथ संलग्न कागजातों की जाँच/समीक्षा करेगी। प्रत्येक स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना का लाभ लक्षित समूह को ही प्राप्त हो।
18. इस योजना के तहत उपर्युक्त वर्णित रोगों के लिए लाभुकों को अनुदान की स्वीकृति, जो तत्काल जीवन रक्षा से संबंधित हो, विशेष परिस्थिति में सिविल सर्जन द्वारा दी जा सकेगी, किन्तु उसकी घटनोत्तर स्वीकृति जिला स्तरीय समिति से प्राप्त की जायेगी।
19. चिकित्सा सहायता की राशि संबंधित अस्पताल/संस्थान को बैंक ड्राफ्ट अथवा उनके खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से दी जायगी। स्वीकृति सहायता राशि की व्यय विवरण/प्राप्ति रसीद तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर व इसकी विधिवत जाँच करा कर अग्रिम राशि का समायोजन किया जायेगा तथा उसका विस्तृत वर्गीकृत ब्यौरा सरकार को एवं राज्य स्तरीय चिकित्सा सहायता प्रबंधन समिति को उपलब्ध कराया जायेगा।
20. चिकित्सा सहायता हेतु लाभुक को अपने जिला में ही आवेदन देना होगा।
21. यदि किसी भी स्थिति में यह पाया गया कि प्रमाण पत्र/छद्मनाम या गलत उद्देश्य से अनुदान की राशि की स्वीकृति या भुगतान प्राप्त कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में लोक मांग वसूली अधिनियम (PDR, Act) के अधीन संबंधित व्यक्ति से समूल राशि वसूलनीय होगा एवं आपराधिक मामला भी दर्ज किया जायेगा।
22. आय से सम्बन्धित कागजात अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

प्रतिलिपि:- अभियान निदेशक, एन०एच०एम०, झारखण्ड, राँची/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, झारखण्ड, राँची/ सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, झारखण्ड/ निदेशक, रिम्स, राँची/निदेशक, रिनपास, काँके, राँची/प्राचार्य/अधीक्षक, एम०जी०एम०चि०महा० एवं अस्पताल, जमशेदपुर/पी०एम०सी०एच०, धनबाद/ईटकी आरोग्यशाला, ईटकी, राँची/सभी सिविल सर्जन/सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी संबंधित अस्पताल/चिकित्सा संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

W. Kumar
सरकार के प्रधान सचिव।
14/12/2020

39(13)
14/12/2020

अनुलग्नक-1

1. वेदान्ता मेडीसिटी, गुड़गाँव, हरियाणा।
2. डाईसन हॉस्पिटल, कोलकता।
3. अपोलो ग्लेनीगलस हॉस्पिटल, कोलकता।
4. मेडिका सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, कोलकता।
5. क्यूरी अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर इंस्टीच्यूटी, ईरबा, राँची।
6. मेहरबाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जमशेदपुर।
7. इंदिरा गाँधी इंस्टीच्यूटी आफ मेडिकल सांईस, शेखपुरा, पटना।
8. झारखण्ड राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/एवं अन्य राज्यों के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल।
9. भारत सरकार के सभी केन्द्रीय चिकित्सा संस्थान।
10. टाटा स्मारक अस्पताल, मुंबई।
11. संजय गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
12. महावीर कैंसर इंस्टीच्यूटी, फुलवारी शरीफ, पटना।
13. अपोलो भुनेश्वर एवं अपोलो हैदराबाद।
14. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।
15. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, भैल्लोर।
16. पी०जी०आई०, चण्डीगढ़।
17. भगवान महावीर मेडिका सुपस्पेसीयलीटी हॉस्पिटल, बुटी मोड़, राँची।
18. रूबी जेनरल हॉस्पिटल लिमिटेड, कोलकता।
19. पारस हमरी हॉस्पिटल, पटना।
20. असफ़ी हॉस्पिटल लिमिटेड, धनबाद।
21. आर०जे०एस०पी० कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कटहल मोड़, राँची।
22. राज हॉस्पिटल, मेन रोड़, राँची।
23. 111 सेव लाईफ हॉस्पिटल, मेन रोड़, आदित्यपुर-2, जमशेदपुर।
24. Basovatarakam Indo American Cancer Hospital Research Institute, Hyderabad.
25. Artemis Hospital, Gurgaon, Haryana.
26. Pushpawati Singhanian Hospital & Research Institute, New Delhi.
27. Gleneagles Global Health City Hospital, Chennai.
28. Indian Spiral Injuries Center, New Delhi.
29. पियरलेस हॉस्पिटल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर लिमिटेड, कोलकता।
30. सी०एम०आर०आई०द० कलकता मेडिकल रिसर्च इंस्टीच्यूट, कोलकता।
31. सरोज गुप्ता कैंसर सेन्टर एण्ड रिसर्च इंस्टीच्यूट ठाकुरपूकर, कोलकता।
32. मिशन ऑफ मर्सी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कोलकता।
33. नारायण सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, हावड़ा, कोलकता।
34. नारायण रवीन्द्रनाथ टेगोर, इन्टरनेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ कार्डिक सांईस, कोलकता।
35. B.P.Poddar Hospital & Medical Research Limited, Kolkata.
36. Asian Institute of Gastroenterology, Hyderabad.
37. टाटा मेन हॉस्पिटल (TMH), बिष्टुपूर, जमशेदपुर।
38. माँ ललिता सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एण्ड ट्रामा सेन्टर, देवघर।
39. मिशन हास्पिटल, दुर्गापुर।
40. फोर्टिस हास्पिटल, कोलकाता।

W. Kumar

राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार निरंतर प्रयत्नशील है। सरकार द्वारा **मुख्यमंत्री गम्भीर बीमारी उपचार योजना** के तहत प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु विभागीय स्तर से चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रुपये को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया है, साथ ही पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति भी दी गई है।

मुख्यमंत्री गंभीर बीमार उपचार योजना का संकल्प जारी

अब जरूरतमंद करा सकेंगे पांच लाख रुपये तक का इलाज

प्रमुख संवाददाता ▶ रांची

मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का संकल्प स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है. संकल्प जारी होने के साथ ही अब लोग इस योजना से इलाज करा सकेंगे. जारी संकल्प के अनुसार वैसे व्यक्तियों को ही इसका लाभ मिलेगा, जिनकी आय लगातार तीन वर्षों से आठ लाख रुपये से कम हो. ऐसे लोगों को कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, लीवर रोग व एसिड अटैक के मामले में पांच लाख रुपये तक का इलाज नामित अस्पतालों में कराने की

☉ आठ लाख रुपये से कम आय वालों को सुविधा

सुविधा उपलब्ध है. एसिड अटैक के मामले में राशि की सीमा नहीं रखी गयी है. यह सुविधा झारखंड राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, केंद्रीय चिकित्सा संस्थान तथा सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थानों में ही मान्य होगा. **आवेदन का चयन कमेटी करेगी** : संकल्प के अनुसार जिला के सिविल सर्जन की अध्यक्षता में एक कमेटी है. जिसके पास आवेदन देना होगा. यह कमेटी ही चयन करेगी. कमेटी में

उपायुक्त द्वारा नामित पदाधिकारी, स्थानीय विधायक, जिला कल्याण पदाधिकारी, उपाधीक्षक सदर अस्पताल, सदर अस्पताल की वरीय महिला चिकित्सक व संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ सदस्य होंगे. समिति की बैठक प्रत्येक सोमवार को होगी. कमेटी द्वारा स्वीकृति की तिथि से एक माह के अंदर ही मरीज को इलाज कराना होगा. वहीं राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग के लिए स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी बनी है. कमेटी में स्वास्थ्य, वित्त, कल्याण विभाग के सचिव, निदेशकरिम्स व विभाग के अपर, संयुक्त या उपसचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे.

राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। गंभीर बीमारी उपचार योजनाओं की सूची में नयी-नयी गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है ताकि इसका अधिकतम लाभ जनता को मिल सके। इलाज के लिए चयनित लब्ध प्रतिष्ठित अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाई गई है। असाध्य रोगों की चिकित्सा सहायता अनुदान योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसके तहत गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए अधिकतम 5 लाख रूपया एवं कैंसर के लिए अधिकतम 4 लाख रूपया तक स्वीकृत किया जा रहा है। साथ ही राज्य औषधि नीति, 2015 का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत सभी आउटडोर एवं इनडोर मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध करायी जानी है। राज्य भर में पाँच बीमारियों से शिशु को बचाने के लिए पेंटावैलेंट टीका दिया जाना प्रारम्भ किया गया है। यह टीका बच्चों को डिपथीरिया, काली खांसी, टेटनस, हेपेटाईटिस-बी एवं हिब से बचाएगा।

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत प्रभावित सुपात्र व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु सहायता अनुदान की राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। साथ ही पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति दी है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, श्री हेमन्त सोरेन जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 08 लाख रुपये वार्षिक आय तक के सभी परिवारों को देश के प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों में कैंसर, किडनी एवं गंभीर लीवर रोग के इलाज की सुविधा मुहैया करायी जायेगी एवं इलाज पर होने वाले पूरे खर्च का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जायेगा।

★ मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत राज्य के ऐसे व्यक्तियों को जिनकी सकल वार्षिक आय लगातार तीन वर्षों तक रुपए 8 लाख से कम हो, उन्हें असाध्य रोगों यथा- सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण एवं गंभीर लीवर रोग तथा एसिड अटैक से प्रभावितों को चिकित्सा सहायता अनुदान की स्वीकृति दी गई। एसिड अटैक के मामलों में आय की बाध्यता नहीं होगी। आय का प्रमाण पत्र अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना अंतर्गत सभी प्रकार के कैंसर रोग, किडनी प्रत्यारोपण, तथा गंभीर लीवर रोगों के लिए प्रत्येक मामले में 5 लाख तक की चिकित्सा अनुदान सिविल सर्जन द्वारा ही स्वीकृत की जाएगी।